(स्पीड पोस्ट)

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस–बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो0–सदाकत आश्रम, पटना–800010

पत्रांकः पटना, दिनांकः

प्रेषक,

एस0 चन्द्रशेखर,भा0व0से0

सदस्य–सचिव

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

बेल्ट्रोन भवन, शास्त्री नगर,

पटना–800023.

विषयः **मेसर्स आर्यन कंस्ट्रक्शन, प्रो0: श्री रविन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पो0+थाना–आमस, जिला–गया द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाट संख्याः 14, मौजा–चिताब खुर्द, कामत और तेतरिया, अंचल–आमस और शेरघाटी, जिला–गया में स्थित बालू घाट से बालू उत्खनन कार्य हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–S.O. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के आलोक में मेसर्स आर्यन कंस्ट्रक्शन, प्रो0: श्री रविन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पो0+थाना–आमस, जिला–गया द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाट संख्याः 14, मौजा–चिताब खुर्द, कामत और तेतरिया, अंचल–आमस और शेरघाटी, जिला–गया से बालू खनन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांकः 13.06.2023 को सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कारवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/–
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :– पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नकः यथोपरि।

ह0/–
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :–   पटना, दिनांक :–

प्रतिलिपिः– मेसर्स आर्यन कंस्ट्रक्शन, प्रो0ः श्री रविन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पो0+थाना–आमस, जिला–गया (गया मोरहर नदी बालू घाट संख्याः 14, मौजा–चिताब खुर्द, कामत और तेतरिया, अंचल–आमस और शेरघाटी, जिला–गया) को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नकः यथोपरि।

ह0/–
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

ज्ञापांक :– 1301   पटना, दिनांक :– 12/7/23

प्रतिलिपिः–श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्षद्, पटना को निदेश है कि दिनांकः 13.06.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति पर्षद् के वेबसाईट पर डिसप्ले कराया जाय। दिनांकः 13.06.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी0 डी0 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नकः यथोपरि।

12/7/23
(एस0 चन्द्रशेखर)
सदस्य–सचिव

दूरभाष नं0–0612.2261250,2262265,फैक्स नं0–0612.2261050ई–मेल–msbspcb-bih@gov.in,वेबसाईट–http://bspcb.bih.nic.in

लोक सुनवाई का वृत।

मेसर्स आर्यन कंस्ट्रक्शन, प्रो0: श्री रविन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पो0+थाना–आमस, जिला–गया द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाट संख्याः 14, मौजा–चिताब खुर्द, कामत और तेतरिया, अंचल–आमस और शेरघाटी, जिला–गया अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् दिनांक 13.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला–गया के प्रागंण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2289/2023, dated 14-02-2023 के आलोक में श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व), गया (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दिनांक 13.06.2023 को अपराह्न 03:00 बजे अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला–गया में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान एवं द टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक 11.05.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, गया द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाट संख्याः 14, मौजा–चिताब खुर्द, कामत और तेतरिया, अंचल–आमस और शेरघाटी, जिला–गया के लेसी को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तद्नुसार लेसी के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उदेश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव मॉगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनी प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनी यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुततिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवतः हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिकिया / सुझाव
1.	श्री नीरज कुमार, पिताः कृष्णदेव सिंह, ग्राम–कामत शेरघाटी, जिला–गया।	इनके द्वारा रोजगार एवं तापमान बढ़ रहा, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहाकार एवं लेसी द्वारा आश्वासन देते हुए बताया गया कि बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधो के देख–रेख एवं अन्य कार्यो में स्थानीय नागरीको को ही उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। साथ ही तापमान के बारे में बताया कि जगह–जगह पानी का व्यवस्था एवं पेड़–पौधो लगाये जायेगे, जिससे स्थानीय नागरीको को परेशानी नही हो। इसप्रकार श्री नीरज कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।

2.	श्री कमलेश कुमार, पिताः वाणा प्रसाद यादव, ग्राम–कामत, जिला–गया।	इनके द्वारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, उस पर सरकार क्या कारवाई कर रहा है, इस संबंध में प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बताया गया कि यह सुनवाई बालू उत्खनन से संबंधित है, परन्तु पर्यावरण प्रदूषित न हो इस संबंध में बताया कि बालू लदे वाहनों के परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा। साथ ही बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही परिवहन किया जायेगा। इसप्रकार श्री कमलेश कुमार को अपना जवाब प्रस्तृत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री अजीत कुमार, पिताः श्री किशोरी सिंह, ग्राम–कामत शेरधाटी, जिला–गया।	इनके द्वारा बालू उत्खनन से पानी का लेयर कम होने से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में पर्यावरणीय सलाहाकार द्वारा बताया गया कि अगर बालू उत्खनन से पानी का लेयर कम होता है, तो लेसी के द्वारा जगह–जगह पर आवश्यकतानुसार बोरिंग का व्यवस्था किया जायेगा। इसप्रकार श्री अजीत कुमार को अपना जवाब प्रस्तृत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री गोपाल जी, पिताः स्व0 रामदास सिंह, ग्राम–आमस, जिला–गया।	इनके द्वारा जिला में पर्यावरण संरक्षण कार्य में जो पैसा आता है, तो उसमें खनन कार्य से प्रभावित क्षेत्र में कितना खर्च किया जाता है; से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी, गया द्वारा बतलाया गया कि पर्यावरण संरक्षण कार्य में जो पैसा आता है वह स्थानीय जन–प्रतिनिधि/माननीय सासंद/माननीय विधायक के द्वारा अनुशांसित कार्यो पर जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार खर्च किया जाता है। जैसाकि खनन कार्य से ग्रामीण सड़क खराब होने पर, नल–जल योजना में, खनन प्रभावित क्षेत्र के विधालयो में खर्च किया जाता है। इसप्रकार श्री गोपाल जी को अपना जवाब प्रस्तृत कर संतुष्ट किया।

अध्यक्ष द्वारा स्थानीय नागरीकों से पूछा गया कि बालू उत्खनन के कारण नदी में पानी आता है या नही ? इस संबंध में उपस्थित स्थानीय नागरीको द्वारा बताया गया कि कभी–कभी पूर्व में नदी पानी नहीं आता था लेकिन बालू उत्खनन होने के कारण नदी का रास्ता बना है, तत्पश्चात् नदी में पानी आता है। इसप्रकार स्थानीय नागरीको ने अपना जवाब प्रस्तुत किया।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के कम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही ले जायेगें। बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेगें। उन्होने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

जन–सुनवाई के अतं में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीध्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

13.6.23	13/6/2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी	अपर समाहर्त्ता
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्, गया	गया

उपस्थिति सूची

मेसर्स आर्यन कंस्ट्रक्शन, प्रो0: श्री रविन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पो0+थाना–आमस, जिला–गया द्वारा गया मोरहर नदी बालू घाट संख्याः 14, मौजा–चिताब खुर्द, कामत और तेतरिया, अंचल–आमस और शेरघाटी, जिला–गया का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय, स्वीकृति दिनांकः 13.06.2023 को 02:00 बजे अपराह्न में अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला–गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र0सं0	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Manoj Kumar ADM, Gaya		[signature] 13/6/2023
2.	Manikanjan Kr Singh	R.O, B.S.P.C.B. Gaya	[signature] 13.6.23
3.	Sudhir Tiwari	CO, Sherghati	[signature] 13/6/23
4.	Amresh kumar SDC cum Incharge DDO	Collectorate Gaya	[signature] 13/06/23
5.	Amit kumar M.I	M.I GAYA	[signature] 13/06/23
6.	Nitish Kumar	~~P&M Jotu~~ Cognizance Research India Pvt. Ltd.	Nitish Ku
7.	Gaurav Kumar	Cognizance Research India Pvt Ltd	Gaurav 13/6/23
8.	रंजन कुमार	प्रभात खबर	रंजन कुमार 13-6-023
9.	Ravindra Kumar Singh	Vill+Po+PS -Amas Distt-GAYA	9973211541 Ravindra Kumar Singh

10.	Gopal Jee.	Amas. Gaya. 8210977577	Gopal Jee
11.	Komal Kant Kumar	Amas Gaya 8210960251	Komal Kant Kumar
12.	Kamlesh Kum	Vill- Kamat- Post Sherghati Gaya	Kamlesh 9939204823
13.	Niraj Kumar	Vill - Kamat Sherghati	Niraj 7799078396
14.	BABAN Bihari	Vill → Kamat Dihirma. Sherghati Gaya	[signature]
15.	Rajeev Kumar	Vill- ~~Kamat~~ Chitab Khundi Sherghati Gaya.	Rajeev kumar
16.	RAJESH KUMAR	Vill - Kamat	Rajesh Kumar
17.	Pintu - kumar	Vill - Kamat	Pintu Kumar
18.	Niranjan kumar	Vill Jogapur	Niranjan
19.	Avishek Kumar	Vill - Kamat	Avishek Kumar
20.	Sandeep Kumar	Vill- Kamat	Sandeep Kr

21.	धनञ्जय सिंह	कमात	धनञ्जय सिंह
22.	चन्दन कुमार	कमात	चन्दन कुमार
23.	Ajit kumar	Vill. Kamat Sherghati	Ajit
24.	राजीव कुमार	कमात	राजीव कुमार
25.	KAMLESH KUMAR	KAMAT.	[illegible]
26.	रविन्द्र पासवान	कमात	रविन्द्र
27.	पवन कुमार सिन्हा	कमात	पवन कुमार सिन्हा
28.	मनोज कुमार सिंह	आमस	मनोज कुमार सिंह
29.	Brajesh Singh	Amas	[illegible]
30.	दिलीप सिंह	रमौल विघा	[illegible]
31.	Nandankusin	vill Man Amasa	Nand

Mob- 7903431297

32.	मेघनकुमार	चैनपुर village	मेघनकुमार
33.	[illegible]	(कामात) village	[illegible]
34.	बटोरी चौधरी	चिताबखुर्द, आमस गया	[illegible]
35.	अतुल कुमार सिंह	कठार	[illegible]
36.	चंदन कु० सिंह	कठार	Chandan
37.	राजा कुमार	कठार	Raja
38.	Harshwardhan Kr	Kathar	Harsh Kr
39.	Golden Singh	Kathar	Golden Singh
40.	Avinash kumar	Kathar	[illegible]
41.			
42.			

THE TIMES OF INDIA, PATNA
THURSDAY, MAY 11, 2023

लोक–सुनवाई की सूचना

मेसर्स आर्यन कंस्ट्रक्शन, प्रो0–श्री रविन्द्र कुमार सिंह, ग्राम+पो0+थाना–आमस, जिला–गया–824219 (गया मोरहर नदी बालु घाट-14, मौजा–चिताब खुर्द, कामत और तेतरिया, अंचल–आमस और शेरघाटी, जिला–गया द्वारा मोरहर नदी के बालूघाट (Gaya SON-14) में बालू खनन परियोजना से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533, दिनांक 14.09.2006 यथा संशोधित, के आलोक में परियोजना को TOR (Terms of Reference) निर्गत किया गया है तथा लोक–सुनवाई की जानी है।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसमें सम्भावित कुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति जिला पदाधिकारी, गया; कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, गया, जिला उद्योग केन्द्र, गया एवं जिला खनन कार्यालय, गया के अतिरिक्त बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, मुख्यालय, पटना के कार्यालय में प्रभावित क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्षद् के वेबसाईट: http://bspcb.bihar.gov.in पर किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हों, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 दिनों के अन्दर पर्षद् कार्यालय में जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्षद् के ई.मेल-msbspcb-bih@gov.in अथवा डाक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक–सुनवाई निम्नानुसार आहूत किया गया है:-

दिनांक	समय	अंचल का नाम	बालू घाट का मौजा	बालू घाट का नाम	लोक–सुनवाई का स्थल
13.06.2023	अपराह्न 02:00 बजे	आमस और शेरघाटी	चिताब खुर्द, कामत और तेतरिया	Gaya SON-14	अंचल कार्यालय, शेरघाटी, जिला– गया।

सभी आम लोगों/संबंधितों से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक–सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड–19 गाईड लाईन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करायेंगे।

सदस्य–सचिव

BIHAR

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना-800010
दूरभाष नं० 0612-2261250/2262265, फैक्स - 0612-2261050
ई-मेल - msbspcb-bih@gov.in, वेबसाईट - http://bspcb.bihar.gov.in

टनकुप्पा में एक दर्जन से अधिक बिना मानकों के ही अवैध नर्सिंग होम, जांच घर व अल्ट्रासाउंड हो रहे संचालित

सावधान ! यहां जिंदगी से होता है खिलवाड़

अवैध संचालन

टनकुप्पा स्थित अल्ट्रासाउंड व जांच घर। • हिन्दुस्तान

एक जांच घर में इलाज के लिए जाते लोग। • हिन्दुस्तान

शीघ्र की जाएगी छापेमारी दोषियों पर होगी कार्रवाई

एक भी निबंध नहीं है नर्सिंग होम और जांच घर

बाइक सवार दो बदमाशों ने झपटे दो लाख रुपये

उत्तर कोयल नहर में जमे गाद से लोगों में आक्रोश

कोंच में ऑटो पलटने से आधा दर्जन लोग जख्मी

रास्ते के विवाद को लेकर नकलुप्पा गांव में मारपीट, एक घायल

बाराचट्टी में मारपीट मामले में तीन गिरफ्तार, जेल

बाराचट्टी में लापता बच्चे का नहीं मिला सुराग

कस्तूरबा में चोर घुसने की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी नहीं पहुंची पुलिस

उदासीनता

- कस्तूरबा विद्यालय में शनिवार की रात घुस गया था चोर
- मामले के दौरान विद्यालय में छूट गया चोर का चप्पल

परैया में पीडीएस दुकान का एसडीओ ने किया निरीक्षण

पीडीएस दुकान की जांच करतीं एसडीओ कुमारी करिश्मा। • हिन्दुस्तान

बीकानेर नगर निगम

-: ई-निलामी सूचना (वर्ष 2022-2023) :-

आयुक्त
बीकानेर नगर निगम

बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना 800001

आवश्यक सूचना

68वीं संयुक्त मुख्य (लिखित) प्रतियोगिता परीक्षा

... www.bpsc.bih.nic.in ...

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

लोक-सुनवाई की सूचना

सदस्य-सचिव

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना-800010

दूरभाष नं.-0612-2261250/2262265, फैक्स-0612-2261050

ई-मेल-msbspcb-bih@gov.in वेबसाइट-http://bspcb.bihar.gov.in

NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI

(An autonomous organisation of Ministry of Education, Govt. of India)
Regional Office, Patna

Engagement of Counsellors on contract basis for the session 2023-24

Navodaya Vidyalaya Samiti intends to engage Counsellors on contract basis in Jawahar Navodaya Vidyalayas residential co-educational schools having classes VI To XII. Online applications are invited from the eligible candidates for contract engagement for the academic session 2023-24. For detailed notification please visit NVS RO, Patna website www.navodaya.gov.in/nvs/ro/patna/en/home

Remuneration - Monthly consolidated remuneration of Rs. 44,900/-.

Essential Qualification

(a) Educational Qualification –

1. Master's Degree (M.A/M.Sc.) in Psychology from a recognized university or institution.

and

2. One year Diploma in guidance & counseling from a recognized university or institution

(b) **Experience**

At least one year experience in Guidance & Counselling/Counselling in educational institutes of central or State or UT Government /Autonomous Bodies of Central or State Government/Public Sector Undertaking.

Age Above 28 years and below 50 years as 1st May 2023.

Application Fee Non refundable application Fee @ Rs. 500/- per candidate will be charged. However, SC/ST and PH candidates are exempted.

Last date for online application–

Online applications may be submitted by visiting the website of NVS Regional Office, Patna navodaya.gov.in/nvs/ro/patna/en/home from 11th May 2023 to 25th May 2023.

NVS may reject candidature if it is found that candidate has applied for more than one Regions, even after engagement.

Note: Only shortlisted candidates will be called for Personal Talk.

Deputy Commissioner
NVS, RO, Patna

गुड्स एवं सर्विस कर नेटवर्क

एसजेवीएन थर्मल (प्रा.) लिमिटेड

पूर्व मध्य रेल

"लोक-सुनवाई"

"लोक-सुनवाई"